आर टी आई मामला/समयबद्ध

फा. सं. II-18015/69/2013-एन एम.III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 26 नवम्बर, 2013

सेवा में

श्री विनोद चावड़ा, अधिवक्ता
सुपुत्र (स्वर्गीय) श्री गोविन्द भाई चावड़ा
'जियो:म्: -ब्रम्हशाला''
एम. आई. जी.- 706, पदमनाभपुर,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

विषय: आपके दिनांक 24.10.2013 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 24.10.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 11.11.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आई का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त आवेदन के बिंदु संख्या (1), (2) और (3) के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे प्रस्तुत है:-

2.1 हिंसा की स्थिति तथा विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर इस समय छत्तीसगढ़ **के** 16 जिलों अर्थात् बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया (बैकुण्ठपुर), नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतारी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोड, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर को नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में माना गया है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नारायणपुर जिले को 29.05.2008 से नक्सल प्रभावित जिला माना गया है।

2.2 पिछले वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की स्थिति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित जिलों, जो देश में वामपंथी उग्रवाद की कुल 70 प्रतिशत हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, में से एक है।

3. उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर की जा सकती है तथा इस सूचना के संबंध में अपील श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जा सकती है।

(रामबीर सिंह)
निदेशक (नक्सल-प्रबंधन) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

PIS Issued
R&I

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को दिनांक 11.11.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

28 NOV 2013
गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक/MHA(NB)

98/Dir(NM-I)/13
13.11.13

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

13/11/13

U.S. (NM III)

18/11

SO(NM-III)

नई दिल्ली, दिनांक : 11/11/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ विनोद पावड़ा का आवेदन।

****

1198/NM-III
13/11/2013

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री विनोद पावड़ा के दिनांक 24/10/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा~~ दिनांक 30/10/2013 को प्राप्त) को एन.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 08/11/2013 की रसीद सं. 27426 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती~~ है।

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (एन.एम.)

गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ विनोद पावड़ा अधिवक्ता

आत्मज - स्व. गोविन्द भाई पावड़ा

निवासी: म. - श्री हरशाला

एम. आई. जी. - 706, पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Registered/पंजीकृत डाक से

Original

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र।

आवेदक का नाम :– विनोद चावड़ा, अधिवक्ता, आत्मज–स्व. गोविन्द भाई चावड़ा
पुरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है :– "जियोःम्–ब्रम्हशाला", एम.आई.जी.–706, पदमनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.). E-mail : - geomvinod_chawada@yahoo.com
मो.– 94252–92999, टेलीफैक्स नं.– 0788–2332686

आवेदक द्वारा प्ररूपण दिनांक 10.10.2013 (1)

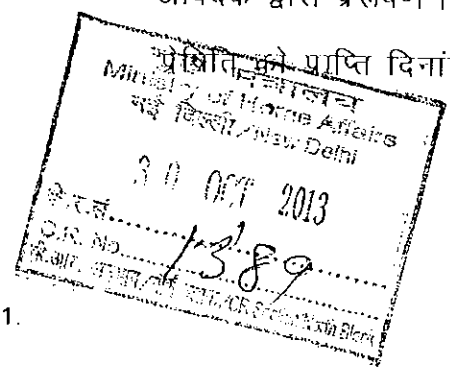

प्रेषित को प्राप्ति दिनांक 24'10'13 (1)

प्रति,

जनसूचना प्राधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
केन्द्रीय सचिवालय,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001.

विषय– अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपने नागरिक अधिकारों के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा मंत्रालयीन कार्यप्रणाली एवं तत्संबंधी दस्तावेजों के मांगे जाने बाबत आवेदन।

–– –00––

अधिनियम के तहत् अधोहस्ताक्षरी आवेदक को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रदान किये जावें :–

1. देश में नक्सल हिंसा से ग्रस्त घोषित प्रदेशों में से एक छत्तीसगढ़ प्रदेश/राज्य में नक्सली समस्या के अंतर्गत विगत 10 वर्षों से केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रूप से संवेदनशील जिले कौन–कौन से हैं, इन जिलों के नामों की जानकारी आवेदक को प्रदान की जावे।

6763/RTI/2013 8/11/13

2. कंडिका 1 के संबंध में प्रदान की जा रही जानकारियों में यदि जिला–नारायणपुर भी शामिल हो तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस जिले नारायणपुर की कौन–कौन सी तहसीलें नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर उन्हें अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रूप से संवेदनशील चिन्हित एवं घोषित किया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावे।

3. कंडिका 2 में वर्णित जिला–नारायणपुर के नारायणपुर वनमंडल के अंतर्गत ग्राम–पण्डरीपानी क्षेत्र को कंडिका 1 एवं 2 में अपेक्षित जानकारियों की किस श्रेणी में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित किया गया है इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावे।

4. यद्यपि, अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी आवेदक से यह अपेक्षा न की जावे कि उसके द्वारा चाही/मांगी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों की उसे क्यों आवश्यकता है तथापि चूंकि उपरोक्त कंडिकाओं 1 से 3 में वर्णित एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अपेक्षित जानकारियां नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंध रखती है।

क्रमशः....2

अतएव, केन्द्रीय गृह मंत्रालय को आवेदक के प्रति किसी भी संशय से विरक्त रखे जाने के आशय से आवेदक स्वयं के बारे में यह जानकारी देना अपना नैतिक दायित्व समझता है। कि, आवेदक द्वारा मांगी जा रही जानकारियों का कारण यह है कि आवेदक केवल खनिज, वन एवं पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत अपने वकालत के अधिव्यवसाय में संलग्न है।

आवेदक के उपरोक्त अधिव्यवसाय के अंतर्गत आवेदक के मुवक्किल "सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमि.", रायपुर (छ.ग.) को केन्द्रीय खान मंत्रालय के अनुमोदन उपरांत पण्डरीपानी क्षेत्र में लौह अयस्क की खनि रियायत (Mineral Concession) के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting License) स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदक के मुवक्किल द्वारा पण्डरीपानी क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रियाएं (Prospecting Operations) संपादित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त संक्रियाओं के संपादन में मानव श्रम एवं आवश्यक मशीनों का समावेश होता है।

अतएव, जान–माल की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिला नारायणपुर का क्षेत्र पण्डरीपानी की जमीनी परिस्थितियां पूर्व वर्णित कार्यों के लिए अनुकूल है अथवा नहीं इस संबंध में राज्य शासन से प्राप्त जानकारी दि.23.10.2012 को संलग्न–"अ" करते हुए आवेदक इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय से भी जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है ताकि दोनों ही शासकीय विभागीय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे कार्यों में आवेदक के मुवक्किल द्वारा उचित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त आशय से ही पूर्व वर्णित जानकारियां अपेक्षित है।

यह कि, अधोहस्ताक्षरी आवेदक के ज्ञान एवं विश्वास से यह सत्य कथन है कि उपरोक्त मांगी गई जानकारी एवं दस्तावेज अधिनियम की किसी भी धारा के प्रावधानों के तहत प्रदाय किये जाने से प्रतिबंधित नहीं है।

यह कि, आवेदन शुल्क के रूप में रू.10/– का मूल पोस्टल आर्डर क्र. **19F 400622**, लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में देय, संलग्न है–"आ"।

यह कि, अधोहस्ताक्षरी के उपरोक्त वर्णित पते पर सूचित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त मांगी गई जानकारी के प्रदाय हेतु कितने राशि के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना है ताकि आवेदन शुल्क एवं अतिरिक्त राशि के शुल्क का भूगतान एक साथ किया जाकर उपरोक्त चाही गई जानकारी को डाक द्वारा प्राप्त किया जा सके।

सधन्यवाद,

आवेदक

विनोद चावड़ा

(विनोद चावड़ा, अधिवक्ता)

संलग्न–उपरोक्तानुसार 'अ' एवं आवेदन शुल्क के रूप में रू.10/– का मूल पोस्टल आर्डर–आ।

//सूचना का अधिकार// 35

पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़,
सिविल लाईन्स, रायपुर-492001.

क्रमांक : पुमु/जसूअ/प्रशा/RTI-172-B/12, दिनांक 25/10/2012

प्रति,

श्री विनोद चावड़ा,
अधिवक्ता,
आत्मज-स्व. गोविन्द भाई चावड़ा,
"जियोःम्-ब्रम्हशाला", एम.आई.जी.-706,
पदमनाभपुर, दुर्ग (छ0ग0).

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदान करने बाबत्।

सन्दर्भः- आपका आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2012

-::0::-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.-(1) **अतिसंवेदनशील** जिला - बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा।

संवेदनशील जिला - धमतरी, गरियाबंद, बालोद, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव।

आंशिक रूप से संवेदनशील जिला - रायगढ़, महासमुन्द, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, जांजीगीर-चांपा।

बिंदु क्र.-(2) जिला नारायणपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र नक्सली प्रभावित क्षेत्र घोषित है। जिला नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत 02 तहसील नारायणपुर एवं ओरछा हैं जिन्हें नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है।

बिंदु क्र.-(3) चूंकि जिला नारायणपुर पूर्णतः नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है तथा नारायणपुर वनमण्डल के अंतर्गत ग्राम पण्डरीपानी अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।

नोट :- जन सूचना अधिकारी द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से यदि आप असंतुष्ट हैं, तो श्री आर0के0 भेंडिया, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु0मु0, छ0ग0, रायपुर के समक्ष विहित शुल्क सहित अपील प्रस्तुत् कर सकते हैं।

25/X/12

(के0एस0 परिहार)
जन सूचना अधिकारी (सामान्य शाखा)
पुलिस मुख्यालय रायपुर (छ0ग0)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(i) देखें) (See Rule 22(i)
रसीद / RECEIPT

सं. /No. 27426 | दिनांक / Dated 15/11/2013

श्री/श्रीमती/कुमारी
Received From Shri/Smt./Km. ....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक / Dated ......20......

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

रूपये / Rs. ______

पदनाम / Designation